काका खट्टर का सुशासित हरियाणा? वाह रे वाह, शिक्षा विभाग हरियाणा!

भिवानी (म.मो.) विद्यालय को नियम से संचालन करने पर विद्यालय प्राचार्य की पिटाई भी हुई और विभाग द्वारा आरोप पत्र भी दिया गया।

अब हरियाणा के अन्य विद्यालय प्राचार्य और विभिन्न संस्थानों के प्रमुख संभल कर कार्य करें वरना ज्यादा परफॉरमेंस दिखाने पर उनको भी ये दिन देखना पड़ सकता है।

माजरा भिवानी के राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी विद्यालय धारहेरु का है। यहाँ के तत्कालीन प्राचार्य विनोद कुमार शर्मा जो अभी टोहाना में कार्यरत हैं, के कुछ महीने पहले एक प्राध्यापिका द्वारा पिटाई करने की रिपोर्ट हुई थी। जाँच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग हरियाणा श्री गणेशन ने प्राध्यापिका को निलंबित कर दिया था और उसे विभागीय आरोप पत्र भी विभाग द्वारा जारी किया गया था।

अभी हाल ही में सोशल मीडिया में एक आरोप पत्र पिटाई खाने वाले प्राचार्य के नाम भी वायरल हुआ। आरोप पत्र में आरोप भी अजीबो गरीब है ?

1. प्राचार्य आदतन स्टाफ एवं अध्यापकों को उनकी वार्षिक रिपोर्ट में एडवर्स रिपोर्ट की धमकी देता है।

2. प्राचार्य ने बिना कारण के पिटाई करने वाली अध्यापिका को planation letter जारी कर परेशान किया है।

खास बात ये है कि इस पिटाई की घटना से पहले प्राचार्य के खिलाफ किसी भी स्टाफ की कोई शिकायत कही भी दर्ज नही है बल्कि गाँव के लोगों ने पिटाई करने वाली प्राध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

अभी अगर संस्थानों के प्रमुख अपने कनिष्ठ से बना कर नही चलते है या फिर ज्यादा अनुशासन या परफॉरमेंस की कोशिश करेंगे तो किसी कर्मचारी से पिटाई भी हो सकती है साथ में विभाग द्वारा आरोपित भी किया जा सकता है।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

बैप्टिस्ट चर्च भूमि घोटाले में लिपिक निलम्बित, तहसीलदार के खिलाफ जांच शुरू

भिवानी (म.मो.) रजिस्ट्री के चर्चित फर्जीवाड़े पर भिवानी के डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल ने अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है।

गौरतलब है कि भिवानी के लोहड़ में स्थित बैपटिस्ट मिशनरी सोसायटी कॉर्पोरेशन की विवादित जमीन वसीका न. 6920 दिनांक 05-00-2022 की फर्जी रजिस्ट्री से संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन, चण्डीगढ़ के माध्यम व अन्य आमजन से प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

अतिरिक्त उपायुक्त कम-जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त द्वारा तुरन्त प्रभाव से तहसीलदार, वो अन्य संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को विभागीय कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की और गई है। रजिस्ट्रेशन लिपिक को दिनांक 21-10-2022 को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करते हुए हरियाणा सिविल सेवा नियमावली-2016 के अन्तर्गत नियम-07 के तहत चार्जशीट करने के आदेश दिये गये थे।

अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी की जांच रिपोर्ट के वर्णित अनुसार संबन्धित कानूनगो व पटवारी ने माननीय कलैक्टर भिवानी के न्यायालय से बैपटिस्ट मिशनरी सोसायटी कॉर्पोरेशन के हक में दिये गये फैसला दिनांक 29-08-2022 पर तथ्यों व दस्तावेजों की बगैर पुष्टि किए व उपरोक्त फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील अवधि (30 दिन) के प्रावधान को अनदेखा करते हुए इन्तकाल का अवैध इन्द्राज किया गया। जिसके आधार पर उपायुक्त द्वारा उपरोक्त कानूनगो व पटवारी को तुरन्त निलम्बित करते हुए हरियाणा सिविल सेवा नियमावली-2016 के अन्तर्गत नियम- 07 तहत चार्जशीट करने के आदेश

दिये गये हैं।

वसीका नं0 6920 दिनांक 05-09-2022 के पंजीकरण के दौरान ओमबीर सिंह नम्बरदार निवासी गांव देवसर बतौर गवाह उपस्थित हुआ है, जबकि उक्त वसीका नं0 भिवानी लोहड़ क्षेत्र के अन्तर्गत है। ओमबीर सिंह नंबरदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सरकार की हिदायतों को अनदेखा करते हुए संबंधित प्रोपर्टी व दोनों पक्षों की पुष्टि की है । जिसके संबंध में उपायुक्त द्वारा ओमबीर नंबरदार के खिलाफ कार्यवाही आरम्भ करने हेतू कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जगदीश सचदेवा विलेख लेखक व सज्जन वर्मा नोटरी पब्लिक के संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त की जांच रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त विलेख लेखक व नोटरी पब्लिक की कार्यशैली सन्देहाप्रस्त दर्शाई गई है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने बारे सिफारिश की है। जिस पर संज्ञान लेते हुए प्राकृतिक न्याय अनुसार कार्यवाही करते हुए उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट में कुछ अन्य गैर-निर्णायक कारक व विवादित प्रोपर्टी मामले में अपने विभिन्न हितों के साथ शामिल कुछ गैर-ईसाई व्यक्तियों की गहनता से जांच करवाने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त इससे संबन्धित केस माननीय सिविल न्यायालय भिवानी व देश के अन्य न्यायालय में भी लम्बित है। अतः विषयाधीन मामले की गहनता से जांच करने हेतु सरकार को राजस्व विशेषज्ञ की सदस्यता सहित विशेष जांच दल(एस0आई0टी0) गठित करने बारे सिफारिश की गई है ताकि समाज के हितों की रक्षा को मद्देनजर रखते हुए बैपटिस्ट संगठन की संपत्ति बारे विवाद /मुद्दों के पीछे की वास्तविकता का पता लगाया जा सके।

सब रजिस्ट्रार व संयुक्त सब-रजिस्ट्रार भिवानी को निर्देश दिये कि विवादित वसीका नं0 6920 दिनांक 05-09-2022 के अस्वीकृति आदेश की रपट द्वारा खाना काफियत में इन्द्राज करेंगे व सक्षम न्यायालय व अन्य सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आदेशों तक विवादित खसरा नंबर पर भविष्य के लिए तुरन्त प्रतिबन्ध लगायें। इसके अतिरिक्त भविष्य में सक्षम प्राधिकारी व सक्षम न्यायालय के निर्देश के बिना विवादित प्रोपर्टी सहित अन्य बीएमएस, बीएमएससी व बीसीटीए से संबंधित किसी भी सम्पत्ति दस्तावेज को पंजीकृत नहीं करेंगे।

इसके अलावा जिले के समस्त सब-रजिस्ट्रार व संयुक्त सब-रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि वसीका पंजीकरण के संबंध में सरकार के निर्देशानुसार सभी सब-रजिस्ट्रार व संयुक्त सब-रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन लिपिक द्वारा की गई दस्तावेज की जांच पर भरोसा न करके स्वयं पंजीयक अधिनियम/नियमों के अनुसार उचित सत्यापन के उपरान्त रजिस्ट्री दस्तावेजों को चिन्हित करके आगामी प्रक्रिया हेतु संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को अग्रेषित करेंगे।

अरावली पहाड़ियों को कचरा घर बनाने में जुटी खट्टर सरकार : सेव अरावली

फरीदाबाद (म.मो.) 'सेव अरावली' द्वारा की गई प्रेसवार्ता के आयोजन का मक़सद नगर निगम फ़रीदाबाद और गुड़गाँव की मिलीभगत से अरावली की पहाड़ियों में एक नए कचरा घर की योजना के विरोध में जन-जन की भावना को दिखाना था।

'काफी संख्या में लोग 13 नवम्बर को सरकार की कचरा डंपिंग योजना के विरोध में एकत्रित हुए। सरकार ने 2009 में हमें एक कचरा घर प्रदान किया। जोकि आप बंधवाडी में एक कचरे के पहाड़ के रूप में देख सकते हैं। जिसकी शुरुआत सरकार ने एक बहुत ही मीठे झूठ के साथ की थी। जिसमें कहा गया कि कचरे का निपटान साथ के साथ किया जाएगा। पहाड़ और उसकी बदबू आपके सामने है और जिसका भुगतान हमारे आस-पास के गांव कैंसर दमा जैसी भयानक बीमारी से कर रहे हैं। हमने तब भी इसका विरोध किया था और आज सरकार हमें फिर से और विशालकाय कचरा घर प्रदान करने जा रही है। जिसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह कचरा घर हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को शायद ही जीवन देखने देगा?

'हम आपके माध्यम से इस अपील को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। यही आज हमारे इस प्रेसवार्ता का मकसद है सरकार जो हमारी जिंदगी को दांव पर लगा रही है कृपया हमारे जीवन को नष्ट ना करें और हमारे साथ-साथ ना जाने हजारों जीव जंतुओं के जीवन को पहले भी नष्ट किया जा चुका है और आगे भी उनका जीवन बिल्कुल ना के बराबर रहेगा कचरे को पहाड़ बनाना कचरे का निपटान नहीं है कचरे को सही तरीके से सही स्थान पर ठिकाने लगाना और पुर्न उपयोग के लायक बनाना कचरे का सही निस्तारण है। हम आप लोगों के माध्यम से अपनी इस विनती को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आप वह अद्भुत शक्ति हैं जो सरकार और प्रशासन की आंखों को खोल सकते हैं?'
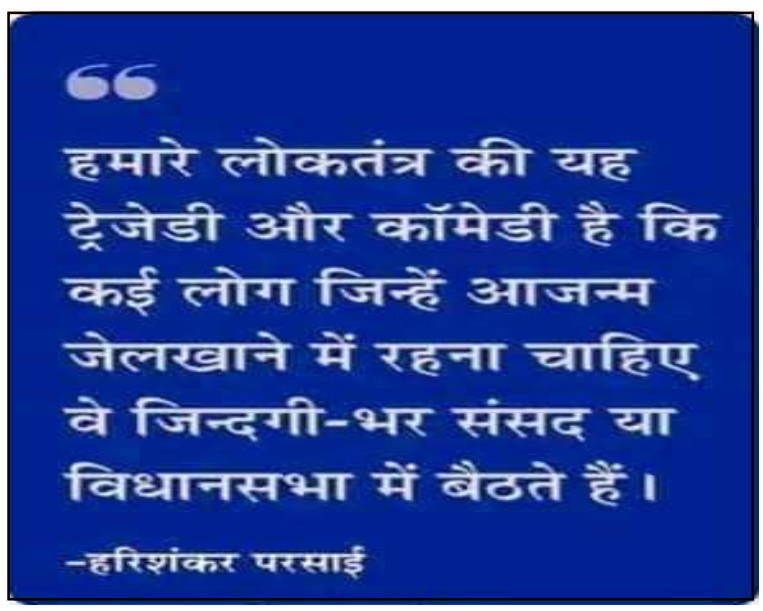
सेव अरावली ट्रस्ट की तरफ़ से मुख्य वक्ता के रूप में जितेंदर भड़ाना ने अपने विचार व्यक्त किए साथ ही प्रशासन को कूड़ा निस्तारण के ऊपर ज़ोर देने का सुझाव दिया। इसके अलावा कैलाश बिधुड़ी एडोवोकट, कृष्णा रावत, पंकज ग्रोवर, कृष्णा जगिया, विरद गुप्ता, यश भड़ाना, राजू रावत, संजय राउ, शालिनी बिष्ट, संवेदना, विकास थरेजा, वीर भान वर्मा जी, धीरज झा, लकी भड़ाना, भगेंदर भड़ाना ऐडवोकट, बिजेन्द्र मास्टर जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आप सभी का आज की इस विरोध प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।